



जी-20



# जी-20

- एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिये वर्ष 1999 में स्थापित
- स्थायी सचिवालय नहीं
- सदस्य: 19 देश और यूरोपीय संघ (EU)
- स्थायी अतिथि देश: स्पेन
- G20 शिखर सम्मेलन: प्रतिवर्ष आयोजित होता है
- 2023 की अध्यक्षता: भारत (थीम - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य)
- शेरपा: ये G20 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्यावली एवं कार्यों का समन्वय करते हैं
- ट्रोइका: अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है (ट्रोइका शब्द का इस्तेमाल पूर्व, वर्तमान और भविष्य की अध्यक्षता के संदर्भ में किया जाता है)



## आर्मेनियाई नरसंहार

### प्रलिस के लयः

नरसंहार, नरसंहार अपराध की रोकथाम और सज़ा पर अभसिमय, संयुक्त राष्ट्र महासभा, भारतीय दंड संहता (IPC), अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21

### मेन्स के लयः

नरसंहार और इसके नतीजे, अंतर्राष्ट्रीय उपाय, नरसंहार से नपिटने के लयः भारत द्वारा उठाए गए कदम

## चर्चा में क्यों?

ऐसा माना जाता है कि [आर्मेनियाई नरसंहार](#) की शुरुआत **24 अप्रैल, 1915** को हुई, यह वह समय था जब ओटोमन/तुर्क साम्राज्य (वर्तमान में तुर्कयः) ने कांस्टेंटिनोपल में आर्मेनियाई बुद्धजिवयः और नेताओं को हरिसत में लेना शुरू कर दया था।

## नरसंहारः

### ■ उदयः

- 'नरसंहार' शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1944 में पोलशः वकील राफेल लेमकनः ने अपनी पुस्तक **एक्ससिस रूल इन ऑक्युपाइड यूरोप** में कया था।

### ■ परचयः

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, नरसंहार एक वशः जातीय, नसलीय, धार्मकः अथवा राष्ट्रीय समूह का उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित वधिवंश है।
- इसे वभिन्न तरीकों से अंजाम दया जा सकता है, जसमें सामूहकः हत्या, जबरन स्थानांतरण और कठोर परस्थितयः में जीने के लयः बाध्य करना शामिल है, जसः कारण बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं।


### ■ शर्तें/स्थतः

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, नरसंहार अपराध के दो प्रमुख घटक होते हैंः
  - मानसकः घटकः इसके अंतरगत कसः राष्ट्रीय, सांस्कृतकः अथवा धार्मकः समूह को आंशकः या फरः पूरी तहत नष्ट करने का प्रयास कया जाता है।
  - शारीकः घटकः इसके अंतरगत होने वाली नमिनलखतः पाँच प्रकार की गतवधियः शामिल हैंः
    - कसः समूह के सदस्यों की हत्या करना।
    - कसः समूह के सदस्यों को शारीकः अथवा मानसकः रूप से गंभीर कषतः पहुँचाना।
    - बदहाल जीवन जीने के लयः मजबूर करना।
    - ऐसे उपाय लागू करना जससे कसः समूह वशः की जनसंख्या में वृद्धः अथवा जन्म दर को पूर्ण रूप से बाधतः अथवा सीमतः कया जा सके।
    - एक समूह के बच्चों को कसः दूसरे समूह में जबरन स्थानांतरतः करना।
- साथ ही कसः घटना को नरसंहार तभी कहा जा सकता है जब हमले में व्यक्तः के बजाय लक्षतः समूह के सदस्यों को नशाना बनाया जाता है।

### ■ नरसंहार अभसिमयः

- नरसंहार अभसिमय एक अंतर्राष्ट्रीय संधः है जसः [नरसंहार की रोकथाम और सज़ा पर अभसिमय](#) के रूप में भी जाना जाता है, इसे **UNGA** द्वारा **9 दसंबर, 1948** को अपनाया गया था।
- इसका उद्देश्य नरसंहार के अपराध को रोकना और हस्ताकषरकर्त्ता राष्ट्रों को नरसंहार को रोकने तथा संबद्ध तत्त्वों को दंडतः करने के लयः कार्रवाई हेतु प्रोत्साहतः करना है। इसके अंतरगत [नरसंहार को आपराधकः श्रेणी में शामिल करने वाले कानूनों को लागू करना](#) एवं इस कृत्य में शामिल संदगध व्यक्तयः की जाँच तथा अभयःजन कार्य में अन्य देशों को सहयोग करना शामिल है।
- [इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टः/अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय](#) को इस अभसिमय की व्याख्या करने और लागू करने की ज़मिमेदारी के साथ प्राथमकः न्यायकः नकाय के रूप में स्थापतः कया गया है।

- यह 9 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी।



## आर्मेनियाई नरसंहार:

- **पृष्ठभूमि:** आर्मेनियाई लोगों का इतिहास प्राचीन है जिनकी पारंपरिक मातृभूमि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक रूसी और तुर्क साम्राज्यों (Ottoman Empires) के बीच विभाजित थी।
  - मुसलमानों के प्रभुत्व वाले तुर्क साम्राज्य में आर्मेनियाई समृद्ध ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय थे।
  - अपने धर्म के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसका वे विरोध कर रहे थे और सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। इससे इस समुदाय के खिलाफ काफी नाराजगी जताई गई और इन पर हमले किये गए थे।
- **युवा तुर्कों और प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका:** वर्ष 1908 में यंग तुर्क नामक एक समूह ने क्रांति कर संघ और प्रगति समिति (CUP) के लिये सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, जो साम्राज्य का 'तुर्कीकरण' करना चाहती थी, साथ ही यह अल्पसंख्यकों के प्रति कठोर थी।
  - अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के परिणामस्वरूप तुर्क साम्राज्य ने रूस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया-हंगरी का साथ दिया।
  - इस युद्ध ने आर्मेनियाई लोगों के प्रति शत्रुता बढ़ा दी, विशेष रूप से कुछ आर्मेनियाई, रूस के प्रति सहानुभूति रखते थे और यहाँ तक कि युद्ध में उसकी मदद करने को तैयार थे।
    - जल्द ही सभी आर्मेनियाई लोगों को एक खतरे के रूप में देखा जाने लगा।
  - 14 अप्रैल, 1915 को कांस्टेंटिनोपल में प्रमुख नागरिकों की गरिफ्तारी के साथ समुदाय पर कार्रवाई शुरू हुई, जिनमें से कई को मार दिया गया था।
    - सरकार ने तब आर्मेनियाई लोगों को बलपूर्वक नरिवासित करने का आदेश दिया।
- 'नरसंहार' के रूप में मान्यता: आर्मेनियाई नरसंहार को अब तक 32 देशों द्वारा मान्यता दी गई है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी शामिल हैं।
  - भारत और यूके आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता नहीं देते हैं। भारत के रुख का कारण उसकी व्यापक विदेश नीति के फैसले और क्षेत्र में भू-राजनीतिक हितों को माना जा सकता है।
  - तुर्की, जो कि आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता नहीं देता है, ने हमेशा दावा किया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौतें नियोजित और लक्ष्यित थीं।
- **आर्मेनिया-तुर्की संबंधों की वर्तमान स्थिति:** आर्मेनिया के तुर्की के साथ अतीत में बेहतर संबंध रहे हैं, हालाँकि अब नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र में जो कि अज़रबैजान का आर्मेनियाई बहुल हिस्सा एक विवादित क्षेत्र है, को लेकर तुर्की, अज़रबैजान का समर्थन करता है।

## नरसंहार पर भारत में कानून और वनियम:

- नरसंहार पर भारत के पास कोई घरेलू कानून नहीं है, भले ही उसने नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC):
  - भारतीय दंड संहिता (IPC) नरसंहार और संबंधित अपराधों की सजा का प्रावधान करती है तथा जाँच, अभियोजन एवं सजा के लिये प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है।
  - IPC की धारा 153B के तहत नरसंहार को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, नविस, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को आपराध की श्रेणी में लाती है।
- संवैधानिक प्रावधान:
  - भारतीय संवैधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
    - संवैधान का अनुच्छेद 15 इन आधारों पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
    - अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

## आगे की राह

नरसंहार की रोकथाम और सजा एक जटिल मुद्दा है जिसके लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कुछ संभावित तरीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कानूनी ढाँचे को सशक्त करना: सभी देशों को नरसंहार तथा संबंधित अपराधों को अपराध ठहराने वाले कानूनों को अपनाना और लागू करना जारी रखना चाहिये। सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि यह कानून अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों के अनुरूप हों, जैसे नरसंहार अभिसमय।
- शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना: शिक्षा और जागरूकता अभियान विभिन्न समूहों के बीच सहिष्णुता एवं समझ को बढ़ावा देने और भेदभाव तथा हिंसा की संभावना को कम करने में सहायता कर सकते हैं। सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हतिधारकों को इन पहलों को बढ़ावा देने के लिये एकमत होकर कार्य करना चाहिये।
- पूर्व चेतावनी प्रणाली: पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास से विभिन्न समूहों के बीच बढ़ते तनाव का पता लगाने और उसे रोकने में सहायता मिल सकती है। इन प्रणालियों में अभद्र भाषा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा संभावित हिंसा के अन्य संकेतकों की निगरानी शामिल हो सकती है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: नरसंहार की रोकथाम और दंड में अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। नरसंहार के घटनाओं को रोकने और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये सभी देशों को सूचना, संसाधनों तथा विशेषज्ञता को साझा करने के लिये एकमत होकर कार्य करना चाहिये।
- पीड़ितों को सहायता: उपचार और सुलह को बढ़ावा देने के लिये नरसंहार के पीड़ितों के लिये समर्थन और क्षतिपूर्ति का प्रावधान करना आवश्यक है। सरकारों एवं अन्य हतिधारकों को पीड़ितों को सहायता के लिये एक साथ कार्य करना चाहिये, जिसमें न्याय, क्षतिपूर्ति और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच शामिल है।
- मूल कारणों को संबोधित करना: नरसंहार की रोकथाम के लिये भेदभाव और हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करना आवश्यक है। इसमें गरीबी, असमानता एवं सामाजिक बहिष्कार को संबोधित करने के साथ-साथ समावेशी शासन तथा लोकतांत्रिक संस्थानों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## भारत की चीता स्थानांतरण परियोजना

### प्रलिस के लिये:

चीता पुनःवापसी योजना, कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान (KNP), गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा टाइगर रज़िर्व

### मेन्स के लिये:

भारत में चीता स्थानांतरण की चुनौतियाँ

## चर्चा में क्यों?

भारत की महत्त्वाकांक्षी चीता स्थानांतरण परियोजना (Cheetah Translocation Project) को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दो चीतों की मौत के कारण परियोजना में बचे चीतों की संख्या 20 में से 18 रह गई है।

- **कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 23 अप्रैल, 2023 को छह वर्ष के नर चीते उदय की मौत हो गई और 27 मार्च, 2023 को इसी पार्क में पाँच वर्ष की मादा चीता साशा की मौत हो गई।**
- इसलिये सरकार अब वैकल्पिक संरक्षण मॉडल पर विचार कर रही है, जैसे कंबाइड वाले रज़िर्व में चीतों के संरक्षण का दक्षिण अफ्रीकी मॉडल।

## चीता (Cheetah)



**सामान्य नाम:** एशियाई चीता

**वैज्ञानिक नाम:** एसिनोनक्स जुबेटस (*Acinonyx jubatus*)

- एसिनोनक्स जुबेटस जुबेटस (एशियाई चीता)
- एसिनोनक्स जुबेटस वेनाटिकस (अफ्रीकी चीता)

**विशेषताएँ:**

- विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी
- चीते अपनी क्षमता के बजाय गति के लिये जाने जाते हैं; जब ये अपने शिकार का पीछा करते हैं तो यह केवल **200-300** मीटर के लिये तथा **1** मिनट से कम अवधि का होता है।
- शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए जैसे अन्य शक्तिशाली शिकारियों से प्रतिस्पर्द्धा से बचने के लिये चीते मुख्य रूप से दिन के दौरान शिकार करते हैं।

**अफ्रीकी चीता बनाम एशियाई चीता:**

- **अफ्रीकी:** हल्के भूरे और सुनहरे रंग की त्वचा; एशियाई चीते से मोटी
  - ❖ चेहरों पर धब्बों तथा रेखाओं की प्रधानता
  - ❖ पूरे अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं
  - ❖ **IUCN रेडलिस्ट में स्थिति: सुभेद्य (Vulnerable)**
- **एशियाई:** अफ्रीकी चीतों से थोड़े छोटे
  - ❖ हल्के पीले रंग की त्वचा: शरीर के नीचे विशेष रूप से पेट पर अधिक बाल
  - ❖ केवल ईरान में पाए जाते हैं; देश द्वारा यह दावा किया जाता है कि अब यहाँ केवल **12** चीते शेष हैं।
- **वर्ष 1952:** एशियाई चीता को आधिकारिक रूप से भारत से विलुप्त घोषित किया गया
  - ❖ **IUCN रेडलिस्ट में स्थिति: घोर संकटग्रस्त (Critically Endangered)**



एशियाई चीता



अफ्रीकी चीता

**भारत में चीतों का पुनर्वास:**

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 19वीं बैठक में MoEF-CC द्वारा "भारत में चीता पुनर्वास के लिये कार्ययोजना" जारी की गई थी। (जनवरी 2022)
  - ❖ इसी तरह की एक कार्ययोजना सर्वप्रथम वर्ष 2009 में प्रस्तावित की गई थी।
- सितंबर 2022 में नामीबिया से आठ चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु लाया गया।
  - ❖ इन आठ चीतों को मध्यप्रदेश के कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा।
- नामीबिया से भारत में चीतों का स्थानांतरण विश्व भर में किसी बड़े मांसाहारी जानवर की पहली स्थानांतरण परियोजना है।



## अपेक्षित मौत:

- इस परियोजना में उच्च मृत्यु दर का अनुमान लगाया गया था और इसका अल्पकालिक लक्ष्य पहले वर्ष में 50% जीवित रहने की दर हासिल करना था, जो कि 20 चीतों में से 10 है।
  - हालाँकि विशेषज्ञों ने बताया कि परियोजना में कूनो नेशनल पार्क के चीतों हेतु वहन क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया था और इसने परियोजना में सलग्न कर्मचारियों पर वैकल्पिक साइटों की तलाश करने हेतु दबाव डाला।
- **मृत्यु का कारण:**
  - एक दक्षिण अफ्रीकी अध्ययन में पाया गया कि चीतों की मृत्यु दर में 53.2% का कारण शिकार की वजह से मौत है। इसके लिये शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा और सियार मुख्य रूप से ज़िम्मेदार हैं।

- मुख्य रूप से परभक्षण के कारण चीतों को उच्च शावक मृत्यु दर का सामना करना पड़ता है, जो विशेषकर संरक्षित क्षेत्रों में 90 प्रतिशत तक है।
- अफ्रीका में शेर को चीतों का प्रमुख शिकारी माना जाता है लेकिन भारत में जहाँ शेरों की अनुपस्थिति पाई जाती है (गुजरात को छोड़कर), वहाँ संभावित चीता परदृश्यों में शिकार में तेंदुओं की भूमिका का अनुमान है।
- मृत्यु दर के अन्य कारणों में शक्तिरि लगाना, स्थिरीकरण/पारगमन, ट्रैकिंग डेविइस और चीतों (शावकों) को मारने वाले अन्य वन्यजीव हो सकते हैं, जिनमें जंगली सुअर, बबून, साँप, हाथी, मगरमच्छ, गदिध, जेब्रा तथा यहाँ तक कि शतुरमुरग भी शामिल हैं।

## चीता संरक्षण के लिये दक्षिण अफ्रीकी मॉडल:

- दक्षिण अफ्रीका में चीतों की सुरक्षा के लिये मेटा-जनसंख्या प्रबंधन नामक एक संरक्षण रणनीति का उपयोग किया गया था।
- इस रणनीति में चीतों को एक छोटे समूह से दूसरे छोटे समूह में स्थानांतरित करना शामिल था ताकि उनकी पर्याप्त आनुवंशिक विविधता के साथ ही एक स्वस्थ आबादी को बनाए रखा जा सके।
- यह दृष्टिकोण दक्षिण अफ्रीका में चीतों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने में सफल रहा जिससे केवल 6 वर्षों में चीतों की मेटा-जनसंख्या बढ़कर 328 हो गई।

## परियोजना के लिये उपलब्ध विकल्प:

- अधिकारी चीतों के लिये दूसरे नविस स्थान के रूप में चंबल नदी घाटी में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य तैयार करने की संभावना तलाश रहे हैं।
- एक अन्य विकल्प कुनो से कुछ चीतों को राजस्थान के मुकुंदरा हलिस टाइगर रजिर्व में 80 वर्ग किलोमीटर के घेरे वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिये स्थानांतरित करना है।
  - हालाँकि दोनों विकल्पों का मतलब है कि परियोजना का लक्ष्य एक खुले परदृश्य (Open Landscape) में चीतों को रखने के बजाय अफ्रीकी आयातों को प्रबंधित करने के लिये बाड़े या प्रतबंधित क्षेत्रों में कुछ कम आबादी (Pocket Populations) के रूप में उन्हें स्थानांतरित करना होगा।

## गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य:

- यह राजस्थान से सटे मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर मध्य प्रदेश में स्थित है।
- इसकी विशेषता विशाल खुले परदृश्य और चट्टानी इलाके हैं।
- वनस्पतियों में उत्तरी उष्णकटबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मशिरति पर्णपाती वन और झाड़ी शामिल हैं।
- अभयारण्य में पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ खैर, सलाई, करधई, धावड़ा, तेंदू और पलाश हैं।
- जीवों में चकिरा, नीलगाय, चित्तीदार हरिण, धारीदार लकड़बग्घा, सियार और मगरमच्छ शामिल हैं।

## मुकुंदरा टाइगर रजिर्व:

- यह कोटा, राजस्थान के पास दो समानांतर पहाड़ों मुकुंदरा एवं गगरोला द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है।
- यह टाइगर रजिर्व चार नदियों रमजान, आहू, काली और चंबल से घिरा हुआ है और चंबल नदी की सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- संरक्षित क्षेत्र:
  - मुकुंदरा हलिस को वर्ष 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य और वर्ष 2004 में एक राष्ट्रीय उद्यान (मुकुंदरा हलिस (दर्रा) राष्ट्रीय उद्यान) घोषित किया गया था।
  - इसे वर्ष 2013 में टाइगर रजिर्व घोषित किया गया था जो रणथंभौर और सरसिका टाइगर रजिर्व के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रजिर्व है।
- पार्क और अभयारण्य:
  - मुकुंदरा टाइगर रजिर्व में तीन वन्यजीव अभयारण्य दर्रे, जवाहर सागर और चंबल शामिल हैं तथा इसमें राजस्थान के चार जिले कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ शामिल हैं।

## आगे की राह

- चीता परियोजना की सफलता के लिये इसे भारत के पारंपरिक संरक्षण पद्धतियों के अनुरूप होना चाहिये। भारत का संरक्षण दृष्टिकोण व्यवहार्य गैर-खंडित आवासों में प्राकृतिक रूप से फैले वन्यजीवों की सुरक्षा पर जोर देता है।
- चीता परियोजना दक्षिण अफ्रीकी मॉडल को अपना कर जोखिम को कम करने का विकल्प चुन सकती है, जिसमें कुछ निर्धारित आबादी को संरक्षित रजिर्व में रखा जा सकता है।
  - हालाँकि चीतों को तेंदुए से सुरक्षित बाड़ों में रखना एकस्थायी समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही चीतों को अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों तक सीमित करने जैसे हस्तक्षेप से पशुओं को नुकसान पहुँच सकता है।

**UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:**

## प्रश्न. नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2012)

1. ब्लैक नेक करेन
2. चीता
3. उड़न गलिहरी
4. हमि तेंदुआ

उपरयुक्त में से कौन-से स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

### राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्ति

#### प्रलिमिस के लयि:

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्ति, [सर्वोच्च न्यायालय](#), [वधिनसभाएँ](#), [अनुच्छेद 200](#), अनुच्छेद 201, राज्यपाल द्वारा वलिंब, [अनुच्छेद 355](#)

#### मेन्स के लयि:

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल द्वारा वलिंब और इससे संबंधति मुद्दे.

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा कि राज्यपाल की सहमति के लयि भेजे गए वधियकों को "जतिनी जलदी हो सके" वापस कर दिया जाना चाहयि, उन्हें रोकना नहीं चाहयि, क्योंकि [राज्यपाल की शथिलिता](#) के कारण राज्य [वधिनसभाओं](#) को अनश्चिति काल तक इंतजार करना पड़ता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना राज्य द्वारा दायर एक याचकिा में अपने न्यायकि आदेश में कहा कि राज्यपाल के पासभेजे गए कई महत्त्वपूर्ण वधियकों को लंबति रखा गया है।

### राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ:

#### ▪ अनुच्छेद 200:

- भारतीय संवधिन का अनुच्छेद 200 कसी राज्य की वधिनसभा द्वारा पारति वधियक को सहमति के लयि राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रकरथिा को रेखांकति करता है, जो या तो सहमति दे सकता है, सहमति को रोक सकता है या राष्ट्रपति द्वारा वचिर के लयि वधियक को आरक्षति कर सकता है।
- राज्यपाल सदन या सदनों द्वारा पुनर्वचिर का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ वधियक को वापस भी कर सकता है।

#### ▪ अनुच्छेद 201:

- इसमें कहा गया है कि जब कोई वधियक राष्ट्रपति के वचिर के लयि आरक्षति होता है, तो राष्ट्रपति वधियक पर सहमति दे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है।
- राष्ट्रपति वधियक पर पुनर्वचिर करने के लयि राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के वधिनमंडल के सदनों को वापस भेजने का नरिदेश भी दे सकता है।

## ■ राज्यपाल के पास उपलब्ध विकल्प:

- वह सहमति दे सकता है या विधायक के कुछ प्रावधानों या विधायक पर स्वयं पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए इसे विधानसभा को वापस भेज सकता है।
- वह राष्ट्रपति के विचार के लिये विधायक को आरक्षण कर सकता है, लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब राज्यपाल की यह राय है कि विधायक उच्च न्यायालय की स्थिति को जोखिम में डाल सकता है।
- वह राष्ट्रपति के विचार हेतु विधायक को आरक्षण कर सकता है। आरक्षण अनिवार्य है जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधायक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरों में डालता है। हालाँकि राज्यपाल विधायक को आरक्षण भी कर सकता है यदि यह नमिन्लखित प्रकृति का हो:

- संविधान के प्रावधानों के खिलाफ
- नीतिनिदेशक तत्त्वों का विरोध
- देश के व्यापक हित के खिलाफ
- गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व का,
- संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्तिके अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।
- एक अन्य विकल्प सहमति को रोकना है, लेकिन ऐसा सामान्य रूप से किसी भी राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक अत्यंत अलोकप्रिय कार्यवाही होगी।

## सर्वोच्च न्यायालय की सलाह:

- संविधान के अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विधानसभाओं द्वारा पारित किये जाने के बाद उन्हें सहमति के लिये भेजे गए विधायकों पर राज्यपालों को देरी नहीं करनी चाहिये।
- "जतिनी जल्दी हो सके" उन्हें लौटा दिया जाना चाहिये और अपने पास लंबित नहीं रखना चाहिये। इस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति "जतिनी जल्दी हो सके" का महत्त्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य है और संवैधानिक प्राधिकारी को इसे ध्यान में रखना चाहिये।

## राज्यपाल द्वारा वलिंब के हाल के उदाहरण:

- तमलिनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि सदन में लाए गए विधायकों पर राज्यपाल की सहमति के लिये एक समय-सीमा निर्धारित की जाए।
  - उदाहरण के लिये तमलिनाडु के राज्यपाल ने राष्ट्रीय पाठ्यता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से छूट वाले विधायक को काफी वलिंब के बाद राष्ट्रपति को भेजा।
- केरल में राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई घोषणा कि वह लोकयुक्त संशोधन विधायक और केरल विश्वविद्यालय संशोधन विधायक को स्वीकृति नहीं देंगे, की वजह से अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है।

## वलिंबित सहमतिके खिलाफ कानूनी तर्क:

- राज्यों का संवैधानिक दायित्व:
  - विधानसभा द्वारा पारित विधायकों पर राज्यपाल की नषिक्रयिता एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जहाँ राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है।
  - यदि राज्यपाल संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह अनुच्छेद 355 को लागू करे और यह अनुरोध करते हुए राष्ट्रपति को सूचित करे कि सरकार की प्रक्रिया संविधान के अनुसार संचालित हो, यह सुनिश्चित करने के लिये राज्यपाल को उचित निर्देश जारी किये जाएँ।
- सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:
  - संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को अपनी शक्तियों का प्रयोग कर किये गए किसी भी कार्य के लिये अदालती कार्यवाही से पूर्ण छूट प्राप्त है।
    - यह प्रावधान तब एक अजीब स्थिति उत्पन्न करता है जब किसी सरकार को किसी विधायक पर सहमति रोकने की राज्यपाल की कार्रवाई को चुनौती देने की आवश्यकता हो सकती है।
    - अतः राज्यपाल को यह घोषणा करते हुए कि वह किसी विधायक पर सहमति नहीं देता/देती है, उसे इस तरह की अस्वीकृति के कारण का खुलासा करना होगा, एक उच्च संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते वह मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता/सकती है।
  - यदि इनकार करने का आधार दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचार या अधिकारतात् प्रतीत होता है, तो राज्यपाल के इनकार करने की कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है।



4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नियम बनाना ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? (2013)

- (a) भारत में एक ही व्यक्तिको एक समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता ।
- (b) भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं ।
- (c) भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है ।
- (d) विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है ।

उत्तर: (c)

प्रश्न. क्या उच्चतम न्यायालय का फैसला (जुलाई 2018) दिल्ली के उपराज्यपाल और नरिवाचति सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को नपिटा सकता है? परीक्षण कीजिये । (मुख्य परीक्षा, 2018)

प्रश्न. 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और वषिमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिये, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में नरिवाचति प्रतिनिधियों एवं उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है । क्या आपके विचार में इससे भारतीय परसिंधीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्तिका उदय होगा? (मुख्य परीक्षा, 2016)

[स्रोत: द हिंदू](#)

भारत में उर्वरक की खपत

प्रलिमिस के लिये:

[उर्वरक सब्सिडी, यूरिया, डाइ-अमोनियम फॉस्फेट, पोषक तत्त्वों पर आधारित सब्सिडी \(NBS\) योजना ।](#)

मेन्स के लिये:

उर्वरक सब्सिडी से संबंधित मुद्दे ।

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिये कई उपायों को लागू किया है । इन प्रयासों के बावजूद यूरिया की खपत में वृद्धि हुई है, जिससे नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में कमी और उर्वरक उपयोग के अनुरूप फसल की पैदावार में गिरावट आई है ।

संतुलित उर्वरता को बढ़ावा देने हेतु किये गए उपाय:

■ पहल:


- वर्ष 2015 में भारत सरकार ने [सभी यूरिया की नीम-कोटिंग](#) को अनिवार्य कर दिया ।
- सरकार ने वर्ष 2018 में मांग में कटौती के लिये 50 कग्रा. के स्थान पर 45 कग्रा. के यूरिया बैग प्रस्तावित किये ।

- भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने वर्ष 2021 में लकिवडि 'नैनो यूरिया' लॉन्च किया।
  - हाल ही में गुजरात के कलोल में पहला लकिवडि नैनो यूरिया (LNU) संयंत्र का उद्घाटन किया गया।
  - LNU एक नैनोपार्टिकल के रूप में यूरिया है और पारंपरिक यूरिया को बदलने तथा इसकी आवश्यकता को कम-से-कम 50% कम करने के लिये विकसित किया गया है।
- किये गए उपायों का प्रभाव:
  - प्रारंभ में नीम कोटेड यूरिया के उपयोग से खपत में गिरावट आई, जिससे गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये यूरिया का उपयोग करना मुश्किल हो गया।
  - हालाँकि यह प्रवृत्ति वर्ष 2018-19 से उलट गई है। वर्ष 2022-23 में यूरिया की बिक्री वर्ष 2015-16 की तुलना में लगभग 5.1 मिलियन टन अधिक थी और अप्रैल 2010 में पोषक तत्त्वों पर आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था की शुरुआत से पहले वर्ष 2009-10 की तुलना में 9 मिलियन टन अधिक थी।

## यूरिया की प्रमुखता के कारण:

- अनुकूल विशेषताएँ: यूरिया सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है क्योंकि यह नाइट्रोजन का एक समृद्ध स्रोत है जो पौधों की वृद्धि के लिये एक आवश्यक पोषक तत्त्व है।
  - यूरिया किसानों के लिये आसानी से उपलब्ध और कफायती नाइट्रोजन स्रोत है, जो इसे एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है।
  - इसे आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिससे यह किसानों एवं निर्माताओं दोनों के लिये एक सुवर्धन विकल्प बन जाता है।
  - यूरिया भी एक बहुमुखी उर्वरक है जिसे विभिन्न प्रकार की फसलों और मट्टि में उपयोग किया जा सकता है।
- भारी सब्सिडी: भारत में यूरिया सबसे अधिक उत्पादित, आयातित, खपत की जाने वाली और भौतिक रूप से वनियमित उर्वरक है।
  - वर्ष 2009-10 से यूरिया की खपत में एक-तर्हिाई से अधिक की वृद्धि देखी गई है; यह मोटे तौर पर 4,830 रुपए से 5,628 रुपए प्रति टन के रूप में इसके अधिकतम खुदरा मूल्य में मात्र 16.5% की वृद्धि के कारण है।
  - DAP प्रति टन 27,000 रुपए और MOP प्रति टन 34,000 रुपए के मुकाबले यूरिया का वर्तमान प्रति टन मूल्य 4:2:1 NPK उपयोग अनुपात के साथ संगत नहीं है, जिसे आमतौर पर भारतीय मृदा के लिये आदर्श माना जाता है।

## पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (Nutrient-based Subsidy- NBS) योजना:





# पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना



उर्वरक में मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो कृषि उपज में वृद्धि करते हैं:

पोषक तत्व	मुख्य स्रोत
नाइट्रोजन (N)	यूरिया
फॉस्फोरस (P)	DAP
पोटैशियम (K)	MOP

इष्टतम N:P:K अनुपात मृदा के प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है किंतु सामान्यतः यह लगभग 4:2:1 के अनुपात होता है।

## परिचय:

- इसका कार्यान्वयन वर्ष 2010 से किया जा रहा है।

## उद्देश्य:

- किसानों को किफायती मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- इष्टतम NPK अनुपात ( 4: 2: 1 ) की प्राप्ति हेतु P एवं K उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना।

## कार्यान्वयन:

- उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

## योजना का महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- सब्सिडी की एक निश्चित दर (₹ प्रति किलोग्राम) वार्षिक आधार पर तय की जाती है।
- यह सब्सिडी पोषक तत्वों: नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश और सल्फर पर दी जाती है।
- फॉस्फेटयुक्त और पोटैशयुक्त (P-K) उर्वरकों के लिये दी जाती है।
- इसमें यूरिया आधारित उर्वरक शामिल नहीं हैं।
- NBS अमोनियम सल्फेट को छोड़कर अन्य आयातित मिश्रित उर्वरकों के लिये उपलब्ध है।

## भारत में उर्वरक:

- 3 मूलभूत उर्वरक: यूरिया, डाइअमोनियम फॉस्फेट (DAP) और म्यूरिएट ऑफ पोटैश (MOP)
- यूरिया सबसे अधिक उत्पादित, सबसे अधिक उपभोग किया जाने वाला, सर्वाधिक आयातित और भौतिक रूप से विनियमित उर्वरक है।
- यूरिया पर केवल कृषि उपयोग के लिये सब्सिडी दी जाती है।

### ■ लक्ष्य लाभार्थी:

- NBS का उद्देश्य देश भर के किसानों को लाभान्वित करना है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान जो बाज़ार दरों पर उर्वरकों का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं।
- यह योजना किसानों को उनकी उर्वरक आवश्यकताओं के आधार पर सब्सिडी प्रदान करती है और सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी जाती है।

### ■ फायदे:

- यह मृदा की उर्वरता और फसल उत्पादकता में सुधार करने में मदद करता है।
- यह रणियती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराकर किसानों के लिये कृषि की लागत कम करता है।

- कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार आने से किसानों को बाज़ार में अपनी फसलों के लिये बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
- यह मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण एवं उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करता है।
- **NBS की वफ़िलता:**
  - यूरिया को इस योजना से बाहर रखा गया है और इसलिये यह मूल्य नियंत्रण के अधीन रहती है। तकनीकी रूप से देखें तो अन्य उर्वरकों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है।
    - जनि अन्य उर्वरकों पर से नियंत्रण हटा लिया गया, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे किसान पहले की तुलना में अधिक यूरिया का उपयोग करने लगे हैं।
    - इससे उर्वरक असंतुलन और बगिड़ गया है।
  - DAP के मूल्य को नियंत्रित करने का कार्य फरि से शुरू किया गया है, कंपनियों को प्रति टिन 27,000 रुपए से अधिक चार्ज करने की अनुमति नहीं है। इससे वर्ष 2022-23 में यूरिया और DAP दोनों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है।

## असंतुलित उर्वरता के प्रभाव:

- **फसल की पैदावार और गुणवत्ता में कमी:**
  - बहुत कम अथवा बहुत अधिक उर्वरक का उपयोग करने से फसल की पैदावार और गुणवत्ता में कमी आ सकती है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को आर्थिक नुकसान होता है।
- **मृदा क्षरण:**
  - असंतुलित उर्वरक से मृदा में पोषक तत्वों का असंतुलन हो सकता है, जिससे मृदा का क्षरण, अवनयन एवं समय के साथ मृदा की उर्वरता में कमी हो सकती है।
- **पर्यावरण प्रदूषण:**
  - उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जल निकायों में अतिरिक्त पोषक तत्वों, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस का निकासन (Leaching) हो सकता है, जिससे सुपोषण (Eutrophication), एल्गी ब्लूम एवं अन्य पर्यावरणीय समस्याएँ हो सकती हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी खतरा:**
  - उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से फसलों में नाइट्रेट का संचय हो सकता है, जिनका अधिक मात्रा में सेवन करना मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक हो सकता है।

## ALL-INDIA USE OF FERTILISER PRODUCTS


	UREA	DAP	MOP*	NPKS	SSP
2009-10	266.73	104.92	46.34	80.25	26.51
2010-11	281.13	108.7	39.32	97.64	38.25
2011-12	295.65	101.91	30.29	103.95	47.46
2012-13	300.02	91.54	22.11	75.27	40.3
2013-14	306	73.57	22.8	72.64	38.79
2014-15	306.1	76.26	28.53	82.78	39.89
2015-16	306.35	91.07	24.67	88.21	42.53
2016-17	296.14	89.64	28.63	84.14	37.57
2017-18	298.94	92.94	31.58	85.96	34.39
2018-19	314.18	92.11	29.57	90.28	35.79
2019-20	336.95	101	27.87	98.57	44.03
2020-21	350.43	119.11	34.25	118.11	44.89
2021-22	341.8	92.72	24.57	114.79	56.81
2022-23	357.25	105.31	16.32	100.73	50.18

\*For direct application, excluding supply to complex fertiliser units.  
Source: Fertiliser Association of India. (in lakh tonnes)



Gettyimages

## CROP YIELD RESPONSE TO FERTILISERS



Source: J.C. Katyal, Indian Journal of Fertilisers, Dec 2019.

## आगे की राह

- **यूरिया को शामिल करते हुए NBS व्यवस्था का वसितार:**
  - NBS व्यवस्था से यूरिया के मौजूदा बहिष्करण से इसकी खपत में वृद्धि हुई है, जिससे उर्वरकों के असंतुलन की समस्या बढ़ गई है।
    - **NBS व्यवस्था में यूरिया को शामिल करने से इसके संतुलित उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और इसकी खपत कम होगी,** जिससे किसानों हेतु खेती की लागत कम होगी, साथ ही फसल उत्पादकता में सुधार होगा।
- **वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना:**
  - **जैविक और जैव-उर्वरक** जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग, परिष्कृत उर्वरकों (जो असंतुलित उर्वरक हो सकता है) पर निर्भरता

को कम करने में मदद कर सकता है,।

- सब्सिडी, जागरूकता अभियान और कृषमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने से मृदा के स्वास्थ्य में सुधार एवं पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मलि सकती है।

■ **मृदा परीक्षण और संतुलित उर्वरता को बढ़ावा देना:**

- मृदा परीक्षण फसलों की पोषक तत्त्वों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने में मदद कर सकता है, जिससे किसानों को संतुलित तरीके से उर्वरकों का प्रयोग करने में मदद मलि सकती है।
- मृदा परीक्षण को बढ़ावा देने और इसके लिये सब्सिडी प्रदान करने से किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग की वधियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे फसल की पैदावार एवं मृदा के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

■ **अनियंत्रित उर्वरकों की कीमतों की नगिरानी और वनियमन:**

- **DAP जैसे नियंत्रित उर्वरकों की कीमतों को वनियमित** करने से उनके अत्यधिक उपयोग को रोकने एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मलि सकती है।
- सरकार उर्वरकों की वहनीयता सुनिश्चित करने और उनके अत्यधिक उपयोग को रोकने हेतु वनियंत्रित उर्वरकों पर मूल्य नियंत्रण फरि से शुरू करने पर वचिर कर सकती है।

■ **सतत उर्वरकों का अनुसंधान एवं वकिस:**

- सतत उर्वरकों के अनुसंधान एवं वकिस में नविश करने से ऐसे उर्वरक वकिसति करने में मदद मलि सकती है जो पर्यावरण के अनुकूल हों, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दें और फसल उत्पादकता में सुधार कर सकें।
- सरकार नजि क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के अतरिकित स्थायी उर्वरकों के अनुसंधान एवं वकिस के लिये धन उपलब्ध कराएगी।

■ **NUE (नाइट्रोजन उपयोग दकषता) में सुधार:**

- NUE मुख्य रूप से यूरिया के माध्यम से लागू नाइट्रोजन के अनुपात को संदर्भित करता है जो वास्तव में फसलों की अधिक पैदावार के लिये उपयोग किया जाता है।
- यह किसानों को कम यूरिया के साथ समान या अधिक अनाज की पैदावार करने में सक्षम करेगा।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2020)

1. वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाज़ार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है।
2. अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है।
3. सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिये कच्चा माल है, तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत सरकार कृषि में 'नीम अलेपित यूरिया (Neem-coated Urea)' के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? (2016)

- (a) मृदा में नीम तेल के नरिमुक्त होने से मृदा सूक्ष्मजीवों द्वारा नाइट्रोजन योगिकीकरण बढ़ाती है।
- (b) नीम लेप, मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है।
- (c) नाइट्रस ऑक्साइड, जो काँक एक ग्रीनहाउस गैस है, फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बलिकुल भी वमिक्त नहीं होती है।
- (d) वशेष फसलों के लिये यह एक अपवृणनाशी (वीडसिाइड) और एक उर्वरक का संयोजन है।

उत्तर: (b)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## थरुनेल्ली मंदिर

हाल ही में [कला और सांस्कृतिक वरिषत हेतु भारतीय राष्ट्रीय न्यास](#) (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage- INTACH) ने सरकार के समक्ष थरुनेल्ली, केरल के श्री महावर्षिणु मंदिर में स्थित 600 वर्ष पुरानी 'वलिककुमाडोम (एक उत्तम कोट की ग्रेनाइट संरचना)' के संरक्षण का प्रस्ताव रखा है।

### चर्ता का प्रमुख वषिय:

- उत्तम ग्रेनाइट से बनी 600 वर्ष पुरानी 'वलिककुमाडोम संरचना, वायनाड ज़िले के थरुनेल्ली में श्री महावर्षिणु मंदिर में स्थित है।
  - मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य ने इसकी वरिषत के संरक्षण को लेकर चर्ता जताई है।
  - 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की इस संरचना का एक समृद्ध इतहास है और नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान इसके प्रमुख तत्त्वों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।
  - चुट्टाम्बलम (मंदिर को ढकने वाली आयताकार संरचना) के ढहने तथा 'वलिककुमाडोम भवन के संभावित ध्वस्त से वरिषत का नुकसान हुआ है और इसका मूल्य एवं महत्त्व कम हुआ है जसि भवषिय में भुला दिया जा सकता है या गलत समझा जा सकता है।
  - अधूरी संरचना एक समृद्ध सांस्कृतिक वरिषत के प्रतीक के रूप में मौजूद थी लेकिन इसे असंवेदनशील/अनुचित तरीके से फरि से तैयार किया गया है।
- ऐसा कहा जाता है किकूरग के राजा ने मंदिर के संरक्षक कोट्टायम राजा की अनुमति के बनिा काम शुरू किया था। बाद में कोट्टायम राजा ने नरिमाण कार्य का आदेश दिया और तबसे संरचना मौजूद है।

### थरुनेल्ली मंदिर:

#### ■ परचिय:

- थरुनेल्ली मंदिर, जसि अमलका या सदिध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, केरल के वायनाड ज़िले में एक वर्षिणु मंदिर है।
- इस मंदिर का नाम एक घाटी में एक आँवले के पेड़ पर आराम कर रहे भगवान वर्षिणु की मूर्ति से पड़ा है, जसि भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की परकिरमा करते हुए खोजा था।

#### ■ थरुनेल्ली मंदिर की वास्तुकला:

- थरुनेल्ली मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक केरल शैली का अनुसरण करती है। मंदिर में एक आंतरिक गर्भगृह है, जसिकी छत की संरचना टाइल से बनी हुई है और इसके चारों ओर एक खुला प्रांगण है।
- मंदिर के पूर्व प्रवेश द्वार को ग्रेनाइट के दीपस्तंभ से सजाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवार ग्रेनाइट के खंभों से बनी है और यह कक्ष शैली में काटे गए हैं, जो सामान्यतः केरल में नहीं देखे जाते हैं।



### सांस्कृतिक वरिषत की रक्षा के लिये प्रयास:

#### ■ वैश्विक:

- [अमूरत सांस्कृतिक वरिषत के संरक्षण के लिये अभिसमय, 2005](#)
- सांस्कृतिक अभवियक्तियों की वविधता के संरक्षण और संवर्द्धन पर अभिसमय, 2006
- [संयुक्त राष्ट्र वरिषत समिति](#): भारत को वर्ष 2021-25 की अवधि के लिये समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है।

#### ■ भारतीय:

- एडॉप्ट ए हेरिटेज कार्यक्रम
- प्रोजेक्ट मौसम
- अनुच्छेद 49 (DPSP)
- AMASR अधिनियम और राष्ट्रीय समारक प्राधिकरण (NMA)
- प्रसाद योजना

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ):

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा/से भारतीय संवधान में नरिधारति नागरकिों के मौलकि करतव्यों में से है/हैं? (2012)

1. हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध वरिसत को संरक्षति करना ।
2. सामाजकि अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना ।
3. वैज्ञानकि सोच और जाँच की भावना का वकिस करना ।
4. व्यक्तगित और सामूहकि गतविधिके सभी क्षेत्नों में उत्कृष्टता की दशिा में प्रयास करना ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

## स्रोत: द हद्रि

## वशि्व मलेरयिा दविस

### प्रलिमिस के लयि:

मलेरयिा - कारण, लक्षण, वैक्सीन, मलेरयिा को नरिंतरति करने के प्रयास

### मेन्स के लयि:

सवास्थ्य, मलेरयिा और इसका उन्मूलन

## चर्चा में कयों?

[वशि्व मलेरयिा दविस](#) प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है ।

- इसकी स्थापना [वशि्व सवास्थ्य संगठन \(World Health Organization- WHO\)](#) द्वारा वर्ष 2007 में मलेरयिा के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु की गई थी ।
- वशि्व मलेरयिा दविस 2023 की ["Time to deliver zero malaria: invest, innovate, implement"](#) है ।

## मलेरयिा:

## ■ परिचय:

- **मलेरिया प्लाज़्मोडियम** परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है।
  - यह परजीवी संक्रमित **मादा एनोफिलीज़ मच्छर** के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
- **मलेरिया बीमारी सामान्यतः उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया के उष्णकटबंधीय एवं उपोष्णकटबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है।**
  - जबकि **प्लाज़्मोडियम फाल्सीपेरम** के कारण अधिक मौतें होती हैं, **प्लाज़्मोडियम वर्विक्स** सभी मलेरिया प्रजातियों में सबसे व्यापक है।

## ■ लक्षण:

- एक बार मानव शरीर में प्रवेश हो जाने के बाद **ये परजीवी यकृत में गुणात्मक रूप से बढ़ते हैं और फरि लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं**, जिससे बुखार, ठंड लगना, सरिदरद, मांसपेशियों में दर्द एवं थकान जैसी समस्याएँ होने लगती हैं।
- गंभीर मामलों में **मलेरिया अंग वफिलता, कोमा और मृत्यु** का कारण बन सकता है।

## ■ वैक्सीन:

- अब तक किसी भी मलेरिया वैक्सीन ने WHO द्वारा नरिधारित 75% की बेंचमार्क प्रभावकारिता नहीं दिखाई है। फरि भी WHO ने मलेरिया नरिंत्रण और रोकथाम की तात्कालिकता को समझते हुए उच्च संचरण वाले अफ्रीकी देशों में RTS,S नामक पहले मलेरिया वैक्सीन के उपयोग की अनुमति दी है।
  - इसकी **प्रभावकारिता 30-40 प्रतिशत के बीच** कहीं अपेक्षाकृत कम है।
  - यह टीका **ग्लैक्सोस्मथिकलाइन (GSK), बलि एंड मेलडि गेट्स फाउंडेशन** आदिकई संगठनों के सहयोगात्मक प्रयास से विकसित किया गया है।
  - भारत में इस वैक्सीन को बनाने के लिये **भारत बायोटेक** को **लाइसेंस दिया गया है।**
    - **RTS,S वैक्सीन की तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने R21 नामक एक वैक्सीन विकसित की है** जिसे अभी WHO की मंजूरी मलिना बाकी है।
      - इस वैक्सीन को घाना और नाइजीरिया ने अपने देशों में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है।
      - इसका नरिमाण भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है।

## ■ मलेरिया के मामले:

- **वशिव मलेरिया रिपोर्ट वर्ष 2022** के अनुसार, इस बीमारी ने वर्ष 2021 में अनुमानित 6,19,000 लोगों की जान ली।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत ने **पछिले 10 वर्षों में मलेरिया के मामलों और मौतों में उल्लेखनीय गरिावट दर्ज की है।**

## मलेरिया को रोकने के प्रयास:

### ■ वैश्विक स्तर पर:

#### ○ वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम:

- यह WHO द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य वैश्विक प्रयासों के समन्वय से मलेरिया को नरिंत्रित तथा खत्म करना है।
- इसका कार्यान्वयन "मलेरिया वर्ष 2016-2030 के लिये वैश्विक तकनीकी रणनीति" द्वारा नरिदेशित है।
  - रणनीतिक लक्ष्य मलेरिया मामलों और मृत्यु दर को वर्ष 2020 तक कम-से-कम 40 प्रतिशत, वर्ष 2025 तक कम-से-कम 75 प्रतिशत और वर्ष 2030 तक आधार रेखा के मुकाबले वर्ष 2015 की आधार रेखा के मुकाबले वर्ष 2030 तक कम-से-कम 90 प्रतिशत कम करना है।

#### ○ मलेरिया उन्मूलन हेतु पहल:

- इसे **बलि एंड मेलडि गेट्स फाउंडेशन** द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह पहल रणनीतियों के संयोजन के माध्यम से दुनिया के कुछ क्षेत्रों में मलेरिया को खत्म करने पर केंद्रित है, जिसमें प्रभावी उपचारों तक पहुँच बढ़ाना, मच्छरों की आबादी को कम करना और बीमारी से नरिपटने के लिये नए उपकरण और तकनीक विकसित करना शामिल है।

#### ○ **ई-2025 पहल:**

- वर्ष 2021 में WHO ने वर्ष 2025 तक 25 चहिनति देशों में मलेरिया के संचरण को रोकने के लिये E-2025 पहल शुरू की है।

## ■ भारत के पर्यास:

- **राष्ट्रीय वेक्टर जनति रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** यह मलेरिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस (JE), डेंगू, चकिनगुनिया, कालाज़ार और हाथीपाँव रोग जैसे वेक्टर जनति रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिये एक व्यापक कार्यक्रम है।
- **राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (NMCP):** वर्ष 1953 में शुरू किया गया यह तीन प्रमुख गतिविधियों पर केंद्रित है:
  - DDT के साथ कीटनाशक अवशेषित स्प्रे (IRS)
  - मामलों की जाँच और नगिरानी
  - रोगियों का उपचार
- **मलेरिया उन्मूलन 2016-2030 के लिये राष्ट्रीय ढाँचा:**
  - मलेरिया उन्मूलन हेतु वर्ष 2016-2030 (GTS) के लिये WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीतिके आधार पर NFME के लक्ष्य हैं:
    - वर्ष 2030 तक पूरे देश से मलेरिया (शून्य स्वदेशी मामले) को खत्म करना।
    - उन क्षेत्रों में मलेरिया-मुक्त स्थिति बनाए रखना जहाँ मलेरिया संचरण बाधित हो गया है और मलेरिया के पुनः संचरण को रोकना।
  - 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' (High Burden to High Impact-HBHI) पहल का कार्यान्वयन जुलाई 2019 में चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) में शुरू किया गया था।
    - उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक युक्त मच्छरदानियों (LLINs) के वितरण से इन 4 अति उच्च स्थानिक राज्यों में मलेरिया के प्रसार में कमी आई है।
  - **मलेरिया एलमिनेशन रिसर्च एलायंस-इंडिया (MERA-India):** इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों के समूह के साथ की गई है।

## नष्िकर्ष:

भारत का उद्देश्य वर्ष 2027 तक मलेरिया मुक्त होना और वर्ष 2030 तक इस बीमारी को पूरी तरह खत्म करना है। वभिन्न उपायों के माध्यम से भारत ने वर्ष 2018 और 2022 के बीच इस बीमारी को 66% तक कम करके मलेरिया के मामलों में कमी लाने में शानदार प्रगति की है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

**प्रश्न.** क्लोरोक्वीन जैसी दवाओं के प्रति मलेरिया परजीवी के व्यापक प्रतिरोध ने मलेरिया से निपटने हेतु टीका विकसित करने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया है। प्रभावी मलेरिया टीका विकसित करने में क्या कठिनाइयाँ हैं? (2010)

- मलेरिया प्लाज़्मोडियम की कई प्रजातियों के कारण होता है।
- प्राकृतिक संक्रमण के दौरान मनुष्य में मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होती है।
- टीका केवल बैक्टीरिया के वरिद्ध ही विकसित किया जा सकता है।
- मनुष्य केवल एक मध्यवर्ती मेज़बान होता है, न कि निश्चित मेज़बान।

उत्तर: b

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

### प्रलिस के लिये:

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC), अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, नविरक नरीध, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।

### मेन्स के लिये:

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अभियुक्त की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उसने अपने वरिष्ठ बहिर में दर्ज प्राथमिकियों को तमलिनाडु की प्राथमिकी से जोड़ने की मांग की थी ।

- आरोपी कथित तौर पर कठोर [राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम \(NSA\), 1980](#) के तहत तमलिनाडु में बहिर के मज़दूरों पर हमले के बारे में फर्जी खबर फैला रहा था ।

## राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980:

### ■ वषिय:

- NSA सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिये वर्ष 1980 में बनाया गया एक नविवारक नरिध कानून है ।
- नविवारक नरिध कानून भवषिय में कसिी व्यक्ती को अपराध करने से रोकने और/या भवषिय में अभयिोजन से बचने के लिये उसे हरिसत में लेना है ।
  - संवधान का अनुच्छेद 22 (3) (b) राज्य को सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से नविवारक नरिध और व्यक्तीगत स्वतंत्रता पर प्रतर्बिध की अनुमत देता है ।
  - अनुच्छेद 22(4) में कहा गया है कनिविवारक नज़रबंदी का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून कसिी व्यक्ती को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिये हरिसत में रखने का अधिकार नहीं देगा ।

### ■ सरकार की शक्तयिाँ:

- NSA केंद्र या राज्य सरकार को अधिकार देता है कविह कसिी व्यक्ती को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतर्किल कसिी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिये उसे हरिसत में ले सकता है ।
- सरकार कसिी व्यक्ती को सार्वजनिक व्यवस्था को बाधति करने से रोकने या समुदाय के लिये आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिये भी हरिसत में ले सकती है ।

### ■ कारावास की अवधि:

- इसके तहत हरिसत में रखने की अधिकतम अवधि 12 महीने है ।

### ■ राष्ट्रीय सुरक्षा परषिद की स्थापना:

- यह अधनियम एक [राष्ट्रीय सुरक्षा परषिद](#) के गठन का भी प्रावधान करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधति मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है ।

## राष्ट्रीय सुरक्षा परषिद (NSC):

### ■ परचिय:

- भारत में NSC एक उच्च स्तरीय नकिया है जो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक नीति और रक्षा से संबंधति मामलों पर सलाह देता है ।
  - 'राष्ट्रीय सुरक्षा परषिद' (NSC) एक त्रसितरीय संगठन है, जो सामरिक चति के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों को देखता है ।
- प्रधानमंत्री NSC का अध्यक्ष होता है ।
- इसका गठन वर्ष 1998 में कथिा गया था और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर वचिर-वमिर्श करता है ।

### ■ सदस्य:

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)
- [चीफ ऑफ डफिँस स्टाफ \(CDS\)](#)
- उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
- रक्षा मंत्री
- वदिश मंत्री
- गृह मंत्री
- वत्ति मंत्री
- [नीति आयोग](#) का उपाध्यक्ष

### ■ कार्य:

- NSC भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकारी कार्यालय के तहत संचालित है, सरकार की कार्यकारी शाखा और खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क सुनिश्चित करता है एवं खुफिया तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर नेतृत्व को सलाह देता है।
- यह देश की सुरक्षा स्थितिकी नियमिति समीक्षा भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर नीतिगत बदलावों पर प्रधानमंत्री को सफारिशें करता है।
- यह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित देश की सुरक्षा में शामिल विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करता है।
- यह उभरते सुरक्षा खतरों का विश्लेषण कर सरकार को प्रारंभिक चेतावनी देता है और विभिन्न आकस्मिक सुरक्षा संबंधी योजनाएँ तैयार करता है।

## राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की आलोचना:

- शक्ति का दुरुपयोग: NSA की प्रमुख चुनौतियों में से एक अधिकारियों द्वारा इसका संभावित दुरुपयोग है। कानून सरकार को एक वर्ष तक बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हरिसत में लेने की शक्ति देता है।
  - असहमति को दबाने या राजनीतिक वरिधियों को नशाना बनाने के लिये अधिकारियों द्वारा इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।
- मानवाधिकारों का उल्लंघन: यदि NSA का दुरुपयोग किया जाता है, तो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
  - कानून मुकदमे के बिना नविरक नरीध का प्रावधान करता है, जसिन निषेकष सुनवाई के अधिकार, अभवियक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तगत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है।
- पारदर्शिता की कमी: NSA के साथ एक और चुनौती नरीध/कारावास प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है।
  - बंदियों को अकसर उनके कारावास के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है और कारावास आदेशों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। पारदर्शिता की इस कमी से अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है।
- कानूनी चुनौतियाँ: आलोचकों ने तर्क दिया है कि कानून असंवैधानिक है और भारतीय संवधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
  - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी NSA के तहत जारी किये गए कई हरिसत आदेशों को रद्द कर दिया है।
- सीमिति प्रभावशीलता: हालाँकि NSA का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरों को रोकना है, इसके बावजूद इसकी प्रभावशीलता सीमिति है।
- साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है कि बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्तियों को हरिसत में लेने से खतरे को रोकने के बजाय कुछ मामलों में यह व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाकर समस्या को बढ़ा भी सकता है।

## आगे की राह

- पारदर्शिता सुनिश्चित करना: हरिसत में लिये गए लोगों को उनके कारावास के कारणों की जानकारी देकर और नरीध आदेशों को सार्वजनिक करके सरकार को नरीध प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिये। इससे अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में मदद मलिंगी।
- सख्त कार्यान्वयन: अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि NSA को कानून के अनुसार, सख्ती से लागू किया जाए और राजनीतिक वरिधियों को लक्षित करने या असहमति को दबाने हेतु इसका दुरुपयोग न किया जाए।
- न्यायिक नरीक्षण को मज़बूत करना: NSA के तहत नविरक नरीध आदेशों के न्यायिक नरीक्षण को यह सुनिश्चित करने हेतु मज़बूत किया जाना चाहिये कि वे मनमाने या असंवैधानिक नहीं हैं।
- खुफिया जानकारी एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करना: सरकार को खुफिया जानकारी एकत्र करने और अन्य उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो कि नविरक नरीध का सहारा लिये बिना राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरों को रोकने में मदद कर सकते हैं।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस